पत्र क्रमांक : CTP/JDA./M.K.S/2024/JUNE/० ५

दिनांक : 06 06 202 4 के तहत संशोधित अनुमोदित

संशोधित भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

मैसर्स साकेत बिल्ड मार्ट प्रा. लि. निदेशक विनय खण्डेलवाल पता :- प्लाट नं. 90 राम नााथपुरी कालवार रोड जयपुर

विषय: - भूखण्ड संख्या 29, 30 (उत्तरी भाग), क्षेत्रफल 566.90 वर्ग मी. जो कि योजना लायन्स लेन जयपुर के अन्तर्गत है, उसके आवासीय (बहु-निवास इकाई) प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या 29, 30 (उत्तरी भाग), क्षेत्रफल 566.90 वर्ग मी. जो कि योजना लायन्स लेन जयपुर के अन्तर्गत है उसके आवासीय (बहु-निवास इकाई) प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बावत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेंजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग (आवासीय) स्वीकृत स्थल मानचित्र (Site Plan) के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप हैं।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-

- i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल :- 566.90 वर्ग भी.
- ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन :--आवासीय (बहु-निवास इकाई)
- iii. भूखण्ड के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) :- 40' WIDE

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJJARCHITECT/2021/07

iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :-

क्र.स.	भवन के पेरामीटर	अनुइोय	प्रस्तावित
1.	सेटबैक (मी.)	The contrary continues and an experience and an experience of the contrary of	
	(अ) सामने	6.10 मी.	4.57 मी.
	(ब) पाश्व प्रथम	3.05 刊.	3.05 मी.
	(स) पार्श्व द्वितीय	3.05 मी.	3.05 मी.
	(द) पीछे	3.05 मी.	3.05 मी.
2.	आच्छादित क्षेत्र	सेंटबेक क्षेत्र के अन्दर	सेटबेक क्षेत्र के अन्दर
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	15 मी.	S+05 मी. एवं 15 मी.
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल		2369.50 Sq.M.
5.	बी.ए.आर. क्षेत्रफल	1133.80 Sq.M.	1660.72 Sq.M.
6.	पार्किग	The same of the sa	1000.72 OQ.W.
	(अ) भू – तल		
	(व) बेसमेट		
	(स) स्टिल्ट	कार - 11 & T.W 11	(DIV 11 8 TW) 11

	\ 0		The second secon
V.	फ्लोर एरिया का विवरण :-	B.A.R.	G.B.U.A.
	(A) रिटल्ट	6.07 SQ.M.	362,99 SQ.M.
	UG WATER TANK (B) प्रथम मंजिल		16.64 SQ.M.
	(C) द्वितीय मंजिल	330.93 SQ.M.	362.99 SQ.M.
	(D) तृतीय मंजिल	330.93 SQ.M. 330.93 SQ.M.	362.99 SQ.M.
	(E) चतुर्थ मंजिल	330.93 SQ.M.	362.99 SQ.M.
	(F) पंचम मंजिल	330.93 SQ.M.	362:99 SQ.M.
	(G) टेरेस पलोर		362.99 SQ.M.
	TOTAL		174.92 SQ.M.
	TOTAL	1660.72 SQ.M.	2369.50 SO M

- यह भवन अनुज्ञा अविध 7 वर्ष अथवा वर्तमान भवन विनियम अथवा लीज डीड के अनुसार जो भी कम हो तक प्रभावी रहेगी। भवन निर्माण रवीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है।
- भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
- 4. अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी हैं।
- 5. भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद (पड़ोसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा) हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यों हेतु समस्त हर्जा खर्चा भवन मालिक ही वहन करेगा।

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Coloni Jagatpura Jappur

- 6. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है। मौके की रोड/सड़क नवीनतम मास्टर प्लान अथवा JDA/NNJ द्वारा जारी साइट प्लान अनुसार मान्य होगा।
- 7. भवन निर्माण प्रारम्भ किये जाने के पश्चात Plinth Level पर निर्माण की Stage आने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/रिजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को सूचित कर स्थल निरीक्षण करवाना होगा अन्यथा भवन मानचित्र के विपरीत कुछ भी पाये जाने पर प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 8. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे मे सूचित करूँगा एवं यदि भवन निर्माता अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण करता है तो उसी समय से मुझे कार्यमुक्त माना जावेगा।
- 9. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। भेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
- 10. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग नियमानुसार कार्यवाही अनुज्ञाधारी के विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानुचित्रों की स्वीकृति रदद करना भी शामिल है।
- 11. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ—पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन वावत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को चालान संख्या 925002 दिनांक 93 06 202 द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।
- 12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर/पंजीकृत वास्तुविद को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकारी सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- 13. अनुज्ञाधारी (भवन रवामी) भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colons

- 14. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लिम्बत है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लिम्बत है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र खतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- 15. जियपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को ही दोषी माना जायेगा।
- 16. यह अनुमोदन प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है एवं किसी भी अवस्था में कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो इसके लिये अनुज्ञाधारी/प्रार्थी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा एवं अनुमोदन स्वतः ही रद्द माना जावेगा।
- 17. ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Coloni Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. उपायुक्त महोदय, (जोन –07) जयपुर विकास प्राधिकरण।

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

संशोधित मांग पत्र (प्रारूप - द)

भुखण्ड का विवरण :-

भ्खण्ड संख्या

: 29, 30 (उत्तरी भाग)

भूखण्ड स्वामी का नाम : साकेत बिल्ड मार्ट प्रा. लि. निदेशक विनय खण्डेलवाल योजना का नाम : लायन्स लेन जयपुर :

भ्खण्ड की माप क्षेत्रफल : 566,90 वर्ग मी.

क्र. स.	विभिन्न मदों का विवरण	शुल्क गणना	पूर्व में जमा राशि	जमा करवाचे योग्य राशि	विशेष विवरण
1 1a	मानचित्र अनुमोदन शुल्क 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अनुमोदित भवन मानचित्र की वैद्य अविध में संशोधन अनुमोदन शुल्क का 20%देय होगा भूखण्ड पर प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल (2369.50 SQ.M.)	1,42,170.00		28,434.	IDA
	के आधार पर निम्न शुल्क देय होगा — आवासीय भूखण्ड हेतु सकल निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर x 60/— प्रति वर्ग मीटर व्यवसायिक व मिश्रित वर्ग मीटर x 95/— प्रति वर्ग मीटर	20%=28,434	N.A.	00	
2	वर्षा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशिभूखण्ड क्षेत्रफल 225से अधिक व 500 वर्गमीटर तक 50,000/- तथा 500से अधिक व 750 वर्गमीटर तक 75,000/-	75000.00	NILL	75000.0 0	
3	बंहुनिवास ईकाई में योजना के आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण राशि (25,000/- रू प्रति अतिरिक्त निवास ईकाई)	2,50,000.00	2,50,000.00	NILL	
4	अतिरिक्त बीएआर वेटरमेंट लेवी (526.92 वर्गमीटर) R.R=12,000/- आवासीय/संस्थागत/औदयोगिक/पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु आवासीय आरक्षित दर का 20प्रतिशत मिश्रित /वाणिज्यिक — आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत	12,64,608.0	13,38,290.00 CHALLAN NO 894365 & 916261 DATE 11/10/2023 & 21/03/2024	NILL	
5*	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेंस 50 / - रू प्रति वर्गमीटरसकल निर्मित क्षेत्रफल(2369.50 वर्ग.मी.) पर (वेंक खाता संख्या 919010091350994, Name: - Department of Local Bodies, Axis Bank Branch C-Scheme, IFSC Code-UTIB0000010)में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत करें ।	1,18,475.00	1,04,783.00 by NEFT/0296346 66841 on 11/10/2022	13,692. 00	Fire cess
3*	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर लागत कर 1%) DD in favour of "secretary B.O.C.W. Board.	2,10,419.00	186031.00 by grn no.006740177 8 date 11/10/2022	24,388. 00	LABOU R CESS

Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Japur CA/2016/75695 CTP RAWARCHITECT/2021/07

 भवन विनियमों के अनुसार मौके पर बिना अनुमति निर्मित निर्माण हेतु शास्ती a) भवन विनियमों मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत) (बिना स्वीकृति) b) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50प्रतिशत) (बिना स्वीकृति) + अनुज्ञा शुल्क का 50प्रतिशत (धरोहर राशि) 	N.A.	N.A.	N.A.
कुल राशि	19,46,936.00	18,79,104.00	1,41,514.00
नगरीय निकाय में जमा कराने योग्य कुल राशि			1,03,430.00

तकनीकीविद के हस्ताक्षर

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colont Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

नोट:-

1. भवन विनियम, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ

भवदीय,

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंजीकृत वास्तुविद

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है।

1. उपायुक्त महोदय, (जोन-07) जयपुर विकास प्राधिकरण

2. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय जयपुर।

भवदीय.

(नाम मय हरलाक्षर)

पंजीकृत वास्तुविद

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Coloni Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

. Mayank Kumar Sharma

REGISTERED/AUTHORISED ARCHITECT FOR BUILDING APPROVALS, C.C./O.C.

C.O.A. No. :- CA/2016/75695 C.T.P. No. :- RAJ/Architect/2021/07

सेवा में, श्रीमान उपायुक्त महोदय, (जोन-07) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राजस्थान) दिनांक :- 06/06/2024

विषय :- भूखण्ड संख्या 29, 30 (उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 566.90 वर्ग भी. जो कि योजना लायन्स लेन, जयपुर में स्थित है, के आवासीय (बहु-निवास इकाई) प्रयोजनार्ध अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्र जमा करवाने बाबत् एवं प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) दिलवाने हेतु।

उपरोक्तानुसार मैं मयंक कुमार शर्मा, मॉडल राजस्थान (शहर क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद हूँ मेरा पंजीयन क्रमांक CTP RAJ./ARCHITECT/2021/07 सलंग्न है। मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या 29, 30 (उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 566.90 वर्ग भी. जो कि योजना लायन्स लेन, जयपुर में रिथत है के आवासीय (बहु—निवास इकाई) प्रयोजनार्ध संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं, अनुमोदन प्रकिया के निम्नलिखित दस्तावेज आपको नियमानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं :—


- 01. UDH, GOVT. OF RAJASTHAN के क्रमांक : पत्र 11 (9) नविवि / 2020 दिनांक 02 SEP 2021 द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि (Attached On Page No. 01-05)
- 02. पंजीकृत वास्तुविद् के पंजीयन एवं नवीनीकरण पत्र की प्रतिलिपि (CTP/GOVT OF RAJASTHAN द्वारा जारी) (Attached On Page No. 06-08)
- 03. प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) हेतु प्रपत्र (Attached On Page No. 69)
- 04. प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन की प्रति एवं Id (Attached On Page No. 10 14)
- 05. मूखण्ड की Google map & CCZM map पर लोकेशन एवं भूखण्ड के फोटोग्रापस (Attached On Page No. 15-20)
- 06. लीज डीड, साइट प्लान, एवं लीगल सर्च रिपोर्ट (Attached On Page No. 2) 5 ()
- 07. आवश्यक शपथ पत्र (Attached On Page No. <u>52-59</u>)
- 08. घोषणा पत्र (Attached On Page No. 💪)
- 09. मांग पत्र की प्रति (Attached On Page No. 61-62)
- 10. मांग पत्र की जमा राशि का चालान संख्या 925002 (दिनांक 03/06/2024) (Attached On Page No. 63
- 11. पूर्व में जमा मांग पत्र की जमा राशि की प्रति (Attached On Page No. 64)
- 12. लेबर सेस जमा राशि की रसीद (Attached On Page No. 65-66)
- 13. पूर्व में जमा लेबर सेस की जमा राशि की प्रति (Attached On Page No. 67)
- 14. फायर सेस जमा राशि की रसीद (Attached On Page No. 6.8....)
- 15. पूर्व में जमा फायर रोस की जमा राशि की प्रति (Attached On Page No. 69
- 16. भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र की प्रति (Attached On Page No. 76-73)
- 17. अनुमोदित भवन मानचित्र (Attached On Page No. 74-75)


भवदीय


(May) २३६) १०६ | ०६ | ०६ | २०२५ मयक कुमार शर्मा पंजीकृत वास्तुविद CTP RAJ./ARCHITECT/2021/07


Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/078












S.NO.	REFERENCE >
1.	PLOT AREA = 566.90 SQ.MT. (= 677.77 SQ.YD.)
2.	PERMISSABLE B.A.R. = 566.90 X 2.00 = 1133.80 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 1660.72 SQ.MT. (2.92) PROPOSED ADITIONAL B.A.R. = (1660.72) - (1133.80) = 526.92 SQ.MT
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	PERMISSABLE HEIGHT = PLINTH(1.20) + 15.00 M
7.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH(0.90) + 15.00 M
8.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 1660.72 / 115 = 14.44 E.C.U. CAR = 11 , SCOOTER = 11
9.	E.C.U. PROPOSED:- CAR = 11, SCOOTER = 11 (14.66 E.C.U.)
10	ELECTRICAL VEHICLE REQUIRED = 02 ELECTRICAL VEHICLE PROPOSED = 02


S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	SERVICE SHAFT	Architecture Element	LIFT	B.A.R
1	STILT FLOOR	362.99			4.00	6.07
	U.G.WATER TANK, DG./TRANSFORMER. GUARD ROOM	16.64				
2	1st FLOOR	362.99	4.18	23.88	4.00	330.93
3	2nd FLOOR	362.99	4.18	23.88	4.00	330.93
4	3rd FLOOR	362.99	4.18	23.88	4.00	330.93
5	4th FLOOR	362.99	4.18	23.88	Sale Line	330.93
6	5th FLOOR	362.99	4.18	23.88	4.00	330.93
7	MUMTY/ STAIR & Architecture Element	174.92				i
8	TOTAL	2369.50				1660.73



अनुमोदित पत्रक्रमाक ETP/JOA/ MKS/2024/ June/04 दिनांक 66/66/2846 तहत अनुमोदित

हुन मानिकों का अनुमोवन विश्वती में प्रवासक मुश्लिय के प्रति स्विकार के प्रति स्विकार का प्रवासक मानिक स्वासक स्वा

सरकातासक भागाधात्र या ज्युष्ण समस्त बहु निवास ईकाई एम्सेटना प्रणु हाजरीक दम्मको एव व्यावसायिक, संस्थाना भागानी में उस्ते समस्त ही अवर्ग एवं साथ ही अस्तित्तक केन्द्र पर सामाधिक स्थान और लक्ष्म है पूर्व सुरामा पेजले कार्त अणिस्तुषक क्ष्मी को स्थानाया बामा अव्यवस्था है।



मीटल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन सिनि १९९० क्रे विनियम में धर्मित निर्देश के अनुसार शाः विकासाम व्यक्तियों हेतु स्थित प्रावसानों वर्ति का स्थान की जानी अनिवार देशों अस्थात भवन निर्मास स्थान स्थानिया की अस्थान

.00 वर्ग मीरिट से बहे व्यवसायिक/ सस्माग्त भूसण्यों में मोके पर निर्माणकार्ता द्वारा स्टीकृत धानसिव की वर्गी अपम अस्मा के अवस्थितकारी निरामात्मकारी प्रीकृति का परिची। उन्हा प्रकृत के अध्याची के दीत्रण प्रथम मार्गिटके भाग निर्माणकार्त द्वारा कांगीया दीनिक सम्माग्यस एको में राविकृत मार्गिटक प्राया होने की स्थित से एक सरसास में प्रकृतिकार मार्गिटक प्रयाप होने की स्थित से एक सरसास में प्रकृतिकार मार्गिटक स्थाप क्रित्र का उपयोग थे ा पार्किंग हेतु किया जाएगा। सीर कर्जा से पानी गरम करने का क्रियानुसार प्रायथान किया जाएगा।



PROJECT:-

अनुमोदित

Mayart Shart of 2024

Ar Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Japur CA/2016/75695 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07 PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING SUBDIVISION AT PLOT NO. 29-30 (NORTH PART) LIONS LANE, JAIPUR

ARCHITECT :-


SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT, PARAS MARG
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRC

BAPU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

> SHRI KRISHAN Architect CA/99/25451





Date:-20 sep 2024

AREA CALCULATION OF PROJECT " **SAKET PRESTIGE HOMES** "

Site Address- Plot No. 29 and 30 (North Part), Yojana Lions Lane, Sirsi Road, Khatipura, District-Jaipur, State-Rajasthan

- 1. Total Land Area: 566.92 sq.mtr.
- 2. Total Open Area: 202.91 sq.mtr.
- 3. Total Gross Built-up Area: 2369.50 sq.mtr.
- 4. Total No. of saleable Units: 10 unit each floor 2 unit (2x5=10 unit)

(Seal and Sign of COA Registered Architect)

Ankur Singh Tanwa CA/2011/51904

Customer name / ग्राहक के नाम Beneficiary name /	urtment	A LULA	eagcment / ग्राहक का		
लामार्थी का नाम Beneficiary bank name	is ban la	g caras	Mode of payment/ भुगतान का प्रकार	Date/तारीखः	306202n
लामाधा के बैंक का नाम	7 0- 1		Beneficiary account number/लामार्थी का खाता	919010	DO 125 - ONLA
number /संदर्भ संख्या <u>NE</u> Name and signature of Bank	7 000 M8533	^	Amount /रकम 13	699 1-	0-11-21-04-61
	SIX MAN	ACCION A	run y	nousura	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200001	VILLAN V	wearty	

FIRE

AND PAVEL ONLY DESIGN OF THE PROPERTY OF THE
SPECETARY 8,0/C/WGDROAKD************************************
ON DEMAND PAY THENTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT ONTY // OR ORDER
KUPEES / // // // // // // // // // // // //
Punghaser Mame: SAKET BUILDWART PVT LTD FOR VALUE RECEIVED
6.759DDCENPAY JAIPHR KALMAD ROAD
Issumo Brarien / Adution sed Signatury / Abtitorised Signatury
#509083# 000229000# 006759# 16

LABOUR CESS

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर किडाम (प्रकोष्ठ में जमा कराने वाली प्रति)

PAN

No: AALCS1820Q

प्रकोख

Deputy Commissioner (Zone 07)

कट्रोल/खाता सख्या 642415500099 / 675401700500

बैंक

ICICI BANK LTD

आईश्योर सख्या

IC754500

दिनाक

03/06/2024 Valid upto 03/07/2024

सर्विस न

3201000034(T)

जमाकतो / आवेदनकर्ता का नाम

SAKET BUILDMART PRIVATE LIMITED TH. DIR. VINAY KHANDELWAL

सेवटर

भूखण्ड स 29% 30NP (Residential)

योजना का नाम

LIONS LANE

समिति / विकासकर्ता

GULABBADI GNSS

जोन सं.

ZONE-07

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	No.	
1020303	Head Map Release Fees	Rupees
1030371	Security Deposit (Rain Water Harvesting)	28434.00
200	I L C	75000.00
1-1	72142 रिष्ठल योग (अंकों में)	103434.00

Amount (Rs.)=1,03,434.00

(valid upto 03/07/2024)

Payment Mode-Cash

HEICIGBANK LIMITED वचनबद्धता

उपरावत जना कराई गई होता जात्र से जम्मवद्या के जिविपा के विश किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि स्वनिर्धारण है आधार पर है जिसके औधित्य एवं पर्याप्त होने आदि RECEIV

चालान सं

Contact No.

8562864362

हस्ताक्षर जमाकता

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर **V**SURE (जमाकर्ता की प्रति)

PAN

No:

AALCS1820Q

प्रकोष्ट Deputy Commissioner (Zone 07)

कंट्रीत/खाता संख्या 642415500099 / 675401700500

वैक

ICICI BANK LTD

आईश्योर सख्या दिनांक

सर्विस न

IC754500

03/06/2024 Valid upto

03/07/2024

3201000034(T)

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता

SAKET BUILDMART PRIVATE LIMITED TH. DIR. VINAY KHANDELWAL

का नाम सेक्टर

भूखण्ड सं 29& 30NP (Residential)

योजना का नाम

LIONS LANE

समिति / विकासकर्ता

GULABBADI GNSS

जीन सं

ZONE-07

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head		
1020303	Map Release Fees	Rupees	
1030371		28434 00	
_	Security Deposit (Rain Water Harvesting)	75000 00	
193	72 112 किल योग (अंकों में)	103434.00	

Amount (Rs.)=1,03,434.00

(valid upto 03/07/2024)

Payment Mode-Cash

GICH BANK HMITED वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई शाशि मात्र से जिम्मूक्ति में जिन्हेगा के पिरुख किसी प्रकार कोई विधिक आधिकार प्राप्त नहीं होंगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण वे आधार पर हैं, जिसके अधिक्तर एवं पर्याप्त होने आदि वे मैं स्वयं उत्तरहाक्ष्रीकराता स्वनिधारण थ मैं स्वयं उत्तरदार्धिरहान ASH RECEIVED

चालान संख्या Contact No.

8562864362

हस्ताक्षर जमाकर्ता



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय: - ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.लि. की आवासीय योजना लॉयन्स लेन जयपुर के भूखण्ड संख्या 29, 30 उत्तरी भाग क्षेत्रफल 677.77 वर्ग गज का भवन मानचित्र अनुमोदन के पोस्ट डेटेड चैक लौटाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.लि. की आवासीय योजना लॉयन्स लेन जयपुर के भूखण्ड संख्या 29, 30 उत्तरी भाग क्षेत्रफल 677.77 वर्ग गज के भवन मानचित्र अनुमोदन के पेटे अतिरिक्त बैटरमेन्ट लेवी शुल्क के निम्न 05 पोस्ट डेटेड चैक समान राशि के विभिन्न समयाविध में जमा किये जाने हेतु प्राप्त हुऐ थे जिनको आर.सी.आर. शाखा में भिजवाया गया था:—

चक नम्बर	बैंक का नाम	चैक दिनांक	राशि
000116	आईसीआईसीआई बैंक चित्रकट जयपर।		267658
000118	आईसीआईसीआई बैंक चित्रकट जयपर।		267658
000119	आईसीआईसीआई बैंक चित्रकट जयपर।		267658
000120	आईसीआईसीआई बैंक चित्रकट जयपर।		267658
000121	आईसीआईसीआई बैंक चित्रकट जगपर।		267658
	000116 000118 000119 000120	000116 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 000118 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 000119 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 000120 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर।	000118 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 11.07.2024 000119 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 11.04.2025 000120 आईसीआईसीआई बैंक चित्रकूट, जयपुर। 11.01.2026

क्रम संख्या 01 पर अंकित चैक का भुगतान जिवप्रा कोष में जमा हो चुका है जिसका आर.सी. आर. क्रमांक 35682 दिनांक 12.10.2023 है एवं क्रमांक 02 से 05 तक के अग्रिम दिनांक के चैक जिनकी कुल राशि 10,70,632 / —रूपये है। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा अग्रिम रूप से एक मुश्त ही जिवप्रा कोष में जमा करवा दी गयी है जिसका चालान संख्या 916261 दिनांक 27.03.2024 तथा आर.सी.आर. नम्बर 53465 दिनांक 21.03.2024 है। चुंकी बैटमेन्ट लेवी से संबन्धित पोस्ट डेटेड चैक की राशि प्रार्थी द्वारा अग्रिम रूप से जमा करवा दी गयी है। अतः क्रम संख्या 02 से 05 तक के पोस्ट डेटेड चैक प्रार्थी को लौटाये जाने हेतु संबन्धित चैक जोन कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें।

जपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण, धिर्जयपुर

वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.) जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2024/डी- 622 दिनांक :- 18/4/1024

क कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रा गाँधी सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग,, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- ७५5

दिनांकः 11/10/2012

श्रीमती मीनू सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह एवं श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह 401, ब्लू विंड्स, लायन्स लेन, सिरसी रोड खातीपुरा, जयपुर।

विषयः गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स. की योजना लॉयन्स लेन के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 29, 30(उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 677.77 वर्ग गज के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। संदर्भ:— आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2022 के क्रम में गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स. की योजना लॉयन्स लेन के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 29, 30 (उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 677.77 वर्ग गज के आवासीय उपयोग के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें बहु निवास आवासीय ईकाई भू— उपयोग के स्टिल्ट + 5 तल (उँचाई स्टिल्ट + 15.00 मीटर), के भवन अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.10.2022 में लिए गये निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :—

यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक प्रभावी हैं।

भवन निर्माण स्वीकृत मानियत्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन

(डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।

3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रदद/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.5 के अनुसार सौर उर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों

के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड के

प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

6. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त / उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन मैंम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-7) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना

प्रस्तुत करेंगे।

3. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन—7) को दी जानी होगी। यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।

). भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

10. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

11. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।

12. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय भू—उपयोग) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

13. भूरवामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।



- 14. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण—पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
- अावेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 भवन पिरसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
- 17. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
 - 18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
 - 19. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें, जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा का निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें तािक किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
- 20. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
- 21. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
- 22. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावें, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
- 23. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
- 24. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार क3े पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1. सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
- 2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

